


## XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निगो 802–पीबीआर / 15

जिला – इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१-८-१५	<p>प्रकरण का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि प्रश्नाधीन भूमि विक्रय के पश्चात उसके पास 3.55 एकड़ भूमि शेष रहेगी जबकि संहिता की धारा 165(2) उपधारा 1(क) के अनुसार आवेदक के पास कम से कम पांच एकड़ भूमि शेष बचने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रश्नाधीन सौदे को आदिवासी के हित में न मानते हुए यह माना है कि उक्त सौदे से आदिवासी का जीवन यापन प्रभावित होगा एवं शोषण का शिकार होगा। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर का भूमि विक्रय की अनुमति न दिए जाने संबंधी आलोच्य औचित्यपूर्ण एवं विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।</p> <p>उभयपक्ष सूचित हों आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>  <p>सदृश्य</p>	



निगरानी 802-PBR-15

## व्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

निगरानी/2015-इन्दौर

अमर सिंह पुत्र घेघरिया भील, निवासी-ग्राम  
काली किराय, तहसील-महूँ, जिला-इन्दौर

..... आवेदक

श्री अमर सिंह ०६  
द्वाया आज दि १५-१-१५ को

प्रस्तुत

मेरे उपर्युक्त आवेदनपत्र को  
कलेक्टर ऑफ कॉर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 के  
अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर इन्दौर के प्र.क्र.  
08/अ-२१/२०११-१२ आदेश दिनांक 29.10.2014 को पारित  
जिनकी नकल दिनांक 21.01.2015 को प्राप्त हुई।

बनाम

म.प्र. शासन

..... अनावेदक

श्रीमान् जी,

निगरानी आवेदनपत्र के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

निगरानी के आधार :-

1. यह कि, अधीनस्थ व्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ व्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है रिथर रखे जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।
3. यह कि, अधीनस्थ व्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आर.आई.पटवारी से जांचोपरान्त प्रतिवेदन मांगा, प्रतिवेदन व्यायालय में पेश किया जिसमें उक्त भूमि विक्रय करने की अनुमति का प्रतिवेदन माननीय व्यायालय के समक्ष पेश किया जिसे नजर अंदाज कर जो आदेश पारित किया वह रिथर रखे जाने योग्य नहीं है।
4. यह कि, उक्त प्रतिवेदन के साथ कथन अमर सिंह, प्रेम कुमार के लिये उस पर भी बिना विचार किये जो आदेश पारित किया वह रिथर रहने